12/9/19

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज अदम हाजरी में खारिज की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः पत्रावली की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर रोक कर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। एवम् पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। पक्षकार अपने अपने खर्चे वहन करें। पत्रावली लम्बित रहे। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०